तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	प्र० सं० 240/17 (?) ...
20/10/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण वास्ते बहस दिनांक 10/11/2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
10/11/20	तारीख पर उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / ~~अवकाश पर है / पदरिक्त है~~ अतः पत्रावली दिनांक 12/01/21 को पेश हो । रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
12/01/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वकील विपक्षी सं० 1 के पूर्व में उपस्थित नहीं होने से जवाब का अवसर बंद किया गया है किन्तु सहवन से एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश नहीं हुआ। आज प्रकरण में विपक्षी सं० 1 एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित कई बार विधिवत आवाज लगवाई गई किन्तु विपक्षी सं० 1 व उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी सं० 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश किया जाता है। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने एकतरफा बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ... एवं खातेदारी ... आराजी वाके ग्राम समाणा पटवार समाणा तहसील करेड़ा में आ० नं० 1351/645 रकबा 0.24 ... दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के स्वामित्व

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:10:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण नं० 20/17 (पुराना नं० 517/16)

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
श्री ओमा गुर्जर बनाम श्री मांगू गुर्जर वगै.	

एवं खातेदारी अधिकार की भूमि पर
विपक्षी सं० 1 ने नाजायज कब्जा कर
01 बिस्वा भूमि पर दो कमरे एक
बरामदा व कुल तीस पट्टियो से
निर्मित पक्के मकान व दरवाजे के
रूप में टीन सेड से निर्मित 30x08
वर्गफीट का पक्का बना लिया व 1 बिस्वा
भूमि पर थोर की बाड़ लगाकर
अवैध कब्जा कर लिया। प्रार्थी के
विरोध करने पर लड़ाई झगड़ा
करने लगा तथा तुम्हारी आराजी की
पत्थरगढ़ी करवा लो। प्रार्थी के द्वारा
बमुजब आराजी की पत्थरगढ़ी
कराने पर संलग्न मौका पर्चा अनुसार
उपरोक्तानुसार विपक्षी सं० 1 का
अतिक्रमण होना पाया गया। इस
कारण विपक्षी सं० 1 द्वारा किये गये
उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाया
जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत
है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला होकर
सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि
विपक्षीगण द्वारा वादी प्रार्थी की खातेदारी
अधिकार आधिपत्य की कृषि भूमी
पर अवैध निर्माण कार्य कर खुर्द बुर्द
कर दिया तो प्रार्थी को काफी आर्थिक
नुकसान होगा। प्रार्थी को अत्यधिक
असहनीय क्षति होगी जिस की पूर्ति
किया जाना सम्भव नहीं होगा।
अतः न्यायहित में मूल [illegible] निस्तारण
तक विपक्षीगण [illegible] निर्माण कार्य
से पाबंद किया जाना उचित है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:10:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	प्रार्थना जारिए मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजी ग्राम भगावा, पटवार हल्का भगावा तह॰ करेडा मे अ॰नं॰ 1351/645 रकबा 0.2 बीघा मे से 0.1 बीघा भूमि जिस पर विपक्षी सं॰ 1 ने अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर रखा है उसके किसी भी भू-भाग पर अवैध निर्माण नहीं करे, न अन्य से करावे, विक्रय आदि आराजियात के खुर्दबुर्द नहीं करे। बिजली कनेक्शन या नल कनेक्शन नहीं लेवे, विवादित मौके को यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली में वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी नं॰ 1351/645 रकबा 2.00 बीघा राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम बाहेसियत खातेदारी अधिकार के दर्ज रेकार्ड है। तथा प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमी है। जिस पर विपक्षी सं॰ 1 ने अवैध निर्माण रकबा 0.01 बिस्वा पर किया जाकर पक्का निर्माण कर लिया। तथा रकबा 0.19 बिस्वा पर भी वाड़े के अवैध अतिक्रमण कर रखा है जिससे [illegible] से होती [illegible] राजी के किसी भू-भाग, विपक्षी सं॰ 1 खुर्दबुर्द कर सकता है। वादग्रस्त भूमी के संबंध मे प्रार्थी का प्रथम दृष्टया

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:10:38 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मामला होकर सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विपक्षी सं० 2 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर अवैध निर्माण कार्य कर खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को असहनीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र मे वर्णित अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिंदु प्रार्थी के पक्ष मे साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव :: आदेश :: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा के निर्णय तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थी के स्वामित्व, खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की वादग्रस्त आराजियात के किसी भू-भाग को विपक्षी सं० 1 खुर्द बुर्द नही करें। मौके यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो। यह पत्र कार्य मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न हो। निर्णय सुनाया गया उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:10:38 IST
Reason: SelfAttested